न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 118/16 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00196

उनवान

1. कमलेश पत्नि देवेन्द्र सिंह पुत्री सरनाम सिंह उम्र 36 वर्ष जाति जाट निवासी नगला बाघा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर हाल निवासी ग्राम जैथोली तहसील इगलाश जिला अलीगढ।
.....अपीलांट।

बनाम

1. भूरी सिंह पुत्र मान सिंह
2. देवेन्द्र सिंह पुत्र मान सिंह
3. मान सिंह पुत्र होता सिंह
4. राधा पुत्री मान सिंह

जाति जाट निवासी नगला बाघा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर दिनांक 17.07.2015 उनवानी भूरी सिंह बनाम मान सिंह मु0न0 12/13

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री नीरपाल कुन्तल उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर, कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 26.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के आदेश दिनांक 17.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट व शेष रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 0 व 3, 4 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजीयात है जिसमें वादी के जन्म से ही अधिकार निहित हो जाते हैं। उपरोक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 3, 4 की कोपार्सनरी आराजीयात है। जिसमें प्रत्येक कोपार्सनर का जन्म से अधिकार निहित है। अतः वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपने पिता के जीवनकाल में अपने हिस्से की घोषणा करा पाने का अधिकारी है। परन्तु विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम इन्द्राज कर्ताखानदान होने के कारण चले आ रहे हैं एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिवादी संख्या 3 से साज किये हैं और येन केन प्रकरण में वादी को मिलने वाले हिस्से 1/4 से बेदखल करने की फिराक में है। इसी आशय से उन्होनें बिना सहमति वादी एवं अन्य हिस्सेदारान के प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के हिस्सो को मारने की गरज से एक दिखावटी वयनामा दिनांक 27.11.2012 को प्रतिवादी संख्या 2 के हक में प्रतिवादी संख्या 03 से साजकर व धोकाधडी से प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में से निस्फ हिस्से का बिना किसी प्रतिफल राशि अदा किये एवे बिना किसी पारिवारिक आवश्यकताओ के करा दिया है, जो विधि विरूद्ध है एवं व मुकाबले वादी नल एण्ड बोइड है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादी व तरतीवी संख्या 03, 4 का 1/4–1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को दस्तावेजी साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना मात्र सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रैस्पो0 ने दावा के शीर्षक में अपीलाण्ट का पता निवासी नगला वाधा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर होना अभिवर्णित किया है जबकि दावा की मद संख्या 6 में यह अभिवर्णित किया है कि अपीलाण्ट का मौके पर कोई कब्जा नहीं है। वह अपने पीहर पिता के साथ रह रही है। सम्मन पर भी तामील कुनन्दा द्वारा यह अंकित किया गया है कि अपीलाण्ट घर पर नहीं मिली। इस तरह रैस्पो0 ने जानबूझकर अपीलाण्ट की तामील गलत पते एवं तामील कुनन्दा से साज कर अपूर्ण एवं तामील के नियमो के विपरीत उनके ससुर द्वारा प्राप्त सम्मन को ही अपीलाण्ट की पर्याप्त तामील मानते हुये, एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। वयनामा भी गंलत प्रकार से नल एण्ड बोइड घोषित किया है। जबकि राजस्व न्यायालय को वयनामा को नल एण्ड बोइड करने के अधिकार हासिल नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर, अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 02 व 03 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। अपीलाण्ट की तामील चस्पांदगी से हुयी है ना

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कि ससुर के सम्मन प्राप्त करने से, सम्मन पर दो गवाहो के हस्ताक्षर अंकित हैं। अपीलाण्ट ससुराल में भी रह सकती है एवं पीहर में भी रह सकती है। तामील नियमानुसार कराई गयी है। प्रकरण की पूर्ण रूप से अपीलाण्ट का जानकारी थी। इकवाल दावा रीडर को पेश करने पर शामिल पत्रावली किया गया है। जबाव दावा बन्द नहीं किया एक तरफा कार्यवाही की गयी है, आगे की कार्यवाहियों में भाग ले सकते थे। जवाब दावा पेश कर दिया। अतः सुनवाई का काननून अवसर दिया गया है। विवादित आराजी पैतृक एवं अविभाजित है। अपीलाण्ट पारिवारिक सदस्य नहीं है। वयनामा पुत्र वधु अपीलाण्ट को कराया गया है। जमीन मिलते ही घर छोड दिया। खातेदारी अधिकार के लिये राजस्व न्यायालय को ही दावा सुनने के अधिकार हैं। यदि विक्रय पत्र षडयन्त्र पूर्वक करायी होती तो सिविल कोर्ट में चुनौती देते। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अंत मे अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. रैस्पो0 संख्या 01 व 04 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि वयनामा में अपीलाण्ट का जो पता है उसी पते पर सम्मन भेजे गये हैं। ससुराल ही स्थायी पता है। विवादित आराजी पैतृक आराज़ी है। जिसमें रैस्पो0 के जन्म से ही खातेदारी अधिकार निहित हैं। अपीलाण्ट (पुत्र वधु) को बिना प्रतिफल लिये वयनामा कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2015 की हस्तगत अपील दिनांक 30.08.2016 को लगभग 01 साल 01 माह बाद प्रस्तुत की गयी है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि चूंकि उन पर अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी सम्मन की तामील नहीं हुयी एवं अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय पारित हुआ है। अतः उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। हमने गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से डिक्री हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया अपीलाण्ट के कथन सारपूर्ण हैं। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर, सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

7. जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाण्ट को सर्वप्रथम सम्मन पेशी दिनांक 20.03.2013 के लिये भेजा गया है। जिस पर अंकित है कि अपीलाण्ट घर पर नहीं मिली एक प्रति उनके घर पर चस्पा की गयी। द्वितीय सम्मन दिनांक 30.12.2014 को प्रेषित हुआ है, जिस पर अंकित है कि अपीलाण्ट कमलेश अपने मायके गयी हुयी है। अतः सम्मन की एक प्रति उनके ससुर को दी गयी। अपीलाण्ट के लिये दोनों पेशीयो के लिये गये हुये, सम्मनो से, उक्त पेशीयों पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की कोई तामील नहीं मानी है। क्योंकि उक्त दोनों पेशीयो पर पीठासीन अधिकारी अन्य राज कार्य में व्यस्थ थे। तत्पश्चात् पेशी दिनांक 01.09.2015 को अपीलाण्ट की तामील उनके ससुर पर होने के कारण मानी गयी है। जबकि वादी रैस्पो0 ने अपने दावा की मद संख्या 6 में अंकित किया है कि प्रतिवादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वह अपने पिता के साथ पीहर पक्ष में रह रही है। इसके अलावा वादी रैस्पो0 ने प्रतिवादी अपीलाण्ट का पता पीहर का अंकित ना कर ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नगला बाघा तहसील कुम्हेर का अंकित किया है। जब वादी रैस्पो0 यह स्वीकारते हैं कि अपीलाण्ट अपने पिता के साथ पीहर पक्ष में रह रही है, तो उनके द्वारा पीहर पक्ष का पता अंकित कर, उसी स्थान पर सम्मन भेजना चाहिये था। अतः दोंनों तथ्यो विरोधाभाषी हैं। इस प्रकार नियम व न्यायिक दृष्टान्तो के आलोक में इसे समुचित तामील नही माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय एक तरफ तो सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में ला रहे हैं। दूसरी तरफ प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत इकबाल दावा के आधार पर निर्णय पारित कर रहे हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की किसी भी आदेशिका में यह अंकित नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया एवं उसे शामिल मिसल किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड पर आये इकबाल दावा के आधार पर निर्णय पारित करने में चूक की है। प्रतिवादी संख्या 01 एक तरफ तो अपीलाण्ट का सम्मन ले रहे हैं वही दूसरी तरफ अपने इकबाल दावे की मद संख्या 4 में अपीलाण्ट की ओर से इकबाल दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों तथ्य विरोधाभाषी हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार चूंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने व सुनवायी का मौका नहीं मिला है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

8. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के निर्णय दिनांक 17.07.2015 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में वास्ते सुनवाई दिनांक 20.11.2023 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

9. निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

26-10-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर